भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
निर्वाचन अधिकारी कार्यालय

दिनांकः13 जनवरी, 2017

कर्मचारी संगठन के सामान्य निर्वाचन हेतु अधिसूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थान के मानकों (Norms) एवं कर्मचारी संगठन के उपनियमों(Bye-laws) के अनुसार तथा संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 04 जनवरी, 2017 के कार्यालय आदेश सं0 स्था./कर्म.संग/2017/भाप्रौसंका/15 के मार्फत कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों **[Office Bearers] : (i) अध्यक्ष (President) (ii) महामंत्री (General Secretary) एवं (iii) कोषाध्यक्ष (Treasurer)** के निर्वाचन हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निर्वाचन परिषद का गठन किया जाता है जो निर्वाचन की प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी का सहयोग करेगी:-

1.	डॉ वी पी सिंह	उपकुलसचिव	निर्वाचन अधिकारी
2.	श्री एन सी जोशी	विद्यार्थी कार्य.कार्यालय	उप निर्वाचन अधिकारी
3.	श्री चुन्नी लाल	स्वास्थ्य केन्द्र	सहायक निर्वाचन अधिकारी
4.	श्री वी पी गुप्ता	विधि-प्रकोष्ठ	सदस्य
5.	श्री रविन्द्र विश्वकर्मा	रासायनिक अभि.वि.	सदस्य
6.	श्री भारत देशमुख	राजभाषा प्रकोष्ठ	सदस्य

निर्वाचन समय-सारणी

निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार **अध्यक्ष, महासचिव** तथा **कोषाध्यक्ष** की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जायेगी:

कार्यक्रम	तारीख	समय
नामांकन- प्रपत्र प्राप्त करने की तारीख	16 एवं 17 जनवरी, 2017	11 बजे से 01 बजे तक
नामांकन- प्रपत्र जमा करने की तारीख	16 एवं 17 जनवरी, 2017	03 बजे से 05 बजे तक
नामांकन- प्रपत्र वापस लेने की अंतिम तारीख	19 जनवरी, 2017	03 बजे से 05 बजे तक
नामांकन-प्रपत्र की जाँच के उपरान्त अंतिम सूची की घोषणा	20 जनवरी, 2017	11 बजे से 01 बजे तक
चुनाव चिह्न का आवंटन	20 जनवरी, 2017	सायं 4 बजे
मतदान की तिथि एवं समय	30 जनवरी, 2017	प्रातः 09:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक
मतदान स्थल	मुख्य ऑडिटोरियम	----------
मतगणना एवं परिणामों की घोषणा	----------	सायं 5 बजे से
शपथ-ग्रहण समारोह	मुख्य ऑडिटोरियम	01 फरवरी, 2017

❖ **निर्वाचन अधिकारी द्वारा अंतिम परिणामों की घोषणा की जायेगी।**

13/1/17

उम्मीदवारी-अर्हताएँ:

(i) कर्मचारी संगठन का कोई भी सदस्य जिसने अपने वेतन से लेखा अनुभाग के माध्यम से जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक सदस्यता शुल्क के रूप में 5/- रु. अथवा 10/-रु. कर्मचारी संगठन खाते में नियमित रूप से जमा किया है वह उपर्युक्त पदों में से किसी एक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अर्ह होगा।

(ii) निर्वाचित सदन का कार्यकाल शपथ-ग्रहण के दिन [01.02.2017] से दो वर्ष के लिए होगा। अतः ऐसे सदस्य जो 31 अक्तूबर, 2018 से पूर्व संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। [संदर्भ- कर्मचारी संगठन उपनियम 4.4]

नामांकन प्रक्रिया:

(i) चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन-प्रपत्र निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से निर्धारित 200/- रुपए शुल्क जमा करके ले सकेंगे।

(ii) किसी भी पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन-प्रपत्र में एक प्रस्तावक एवं एक अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावक एवं अनुमोदक अलग-अलग व्यक्ति होंगे तथा वे कर्मचारी संगठन के सदस्य होंगे। प्रस्तावक एवं अनुमोदक को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन-प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(iii) कर्मचारी संगठन का कोई भी सदस्य एक से अधिक उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक अथवा अनुमोदक नहीं बन सकेगा।

(iv) किसी भी पद के लिए कोई भी उम्मीदवार अपने ही नाम का प्रस्ताव अथवा अनुमोदन नहीं कर सकेगा और इसी प्रकार कोई भी उम्मीदवार दूसरे अन्य उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव अथवा अनुमोदन नहीं कर सकेगा।

(v) निर्वाचन परिषद का कोई भी सदस्य किसी भी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव अथवा अनुमोदन नहीं कर सकेगा।

(vi) निर्वाचन परिषद का कोई भी सदस्य किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सामान्य आचार संहिता:

(i) उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए कपड़े के बैनरों एवं फ्लैक्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए केवल नोटिस बोर्डों का उपयोग किया जाएगा तथा नोटिस बोर्डों में पोस्टर एवं पम्फ़लेट आदि चिपकाने के लिए गोंद आदि का उपयोग वर्जित होगा।

(ii) उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, पम्फ़लेट आदि को संस्थान की दीवारों पर नहीं चिपकाया जाएगा। इसी प्रकार पेन्ट, कलर आदि से संस्थान की दीवारों पर नहीं लिखा जाएगा।

(iii) उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाऊडस्पीकर एवं वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(iv) निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी चुनाव संबंधी सूचनाओं को कुलसचिव कार्यालय एवं ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के पास स्थित नोटिस बोर्डों पर चस्पा किया जाएगा।

(v) समस्त उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण/ अपराध माने गये हैं, जैसेः

- मतदाता को रिश्वत देकर अथवा डरा धमका कर अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना अथवा फर्जी मतदान करने के लिए उकसाना;

13/1/17

- मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार करना अथवा मतदाता को मतदान केन्द्र तक अपने वाहन से पहुँचाना और वहाँ से ले जाना;
- निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान मतदाता को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना।

(vi) किसी भी उम्मीदवार के विचारों एवं मतों का विरोध पोस्टर अथवा बैनर के माध्यम से नहीं किया जायेगा। किसी भी उम्मीदवार से मतभिन्नता होते हुए भी उसके विरोध में दुष्प्रचार करना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

(vii) निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर आमसभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।

(viii) किसी भी स्थिति में चुनाव-प्रक्रिया में बाहरी व्यक्ति का सहयोग लेना पूर्णतया वर्जित होगा।

(ix) कोई भी उम्मीदवार ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं होगा जिससे विभिन्न जाति एवं समुदाय, धर्म(मजहब) अथवा विशेष भाषा-समुदाय अथवा विभिन्न समूहों के बीच भेदभाव अथवा आपसी घृणा अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।

(x) मत प्राप्त करने के लिए जातीय अथवा धार्मिक भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। प्रचार हेतु संस्थान परिसर के अंदर अथवा परिसर के बाहर स्थित पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(xi) प्रचार के लिए संस्थान द्वारा संचालित ई-मेल सेवा का उपयोग किया जा सकेगा।

(xii) किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्रियों के वितरण से पूर्व निर्वाचन परिषद से स्वीकृति लेनी होगी।

❖ **समस्त उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त आचार संहिता का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।**

मतदान-प्रक्रिया:

मताधिकार-अर्हता:

संस्थान के समस्त संकाय-सदस्यों, अधिकारियों को छोड़कर लेखा-1 से मासिक वेतन प्राप्त करने वाले संस्थान के वे समस्त कर्मचारी, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2016 तक कर्मचारी संगठन के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता-शुल्क को अदा किया है, मतदान कर सकेंगे।

दिशा-निर्देश:

(i) सामान्य मतदान-प्रणाली के अनुसार मत डाले जाएंगे।

(ii) मतदान की तारीख को कर्मचारी संगठन के प्रामाणिक सदस्य निर्धारित समयावधि में मतदान केन्द्र में पहुँचकर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे।

(iii) मतदान की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार मतदान-केन्द्र में पर्यवेक्षक के रूप में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

(iv) मतदाता को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन परिषद की अनुमति के बगैर मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।

(v) निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित सदस्य एवं निर्वाचन-परिषद के सदस्य ही निर्वाचन अधिकारी की देख-रेख में मतदान एवं मतगणना की कार्यवाही को संपादित करेंगे। मतगणना के वक्त उम्मीदवार अपने एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता है।

13/1/17

लिफाफा-बंद मतदान:

निम्नलिखित दिशा-निर्देशानुसार **लिफाफा-बंद** मत डाले जायेंगे;

(i) ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी संगठन के प्रामाणिक सदस्य हैं तथा मतदान की तारीख को अवकाश पर रहने वाले/वाली है, अवकाश पर जाने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को अपने विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/इकाई प्रभारी द्वारा स्वीकृत अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये **लिफाफा-बंद** मत दे सकते हैं।

(ii) निर्वाचन अधिकारी **लिफाफा-बंद** मत-पत्र का प्रयोग करने वाले प्रामाणिक मतदाताओं को एक निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध करायेगा जिसपर वे अपने मतानुसार उम्मीदवार का नाम लिखकर तथा उसे एक लिफाफे में बंद करके निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करेंगे। एक लिफाफे में केवल एक प्रामाणिक मतदाता का मत होगा।

(iii) निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रामाणिक मतदाता लिफाफे के ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(iv) प्रामाणिक मतदाता को लिफाफे के ऊपर दाहिनी ओर उस पद या उन पदों का नाम लिखना होगा जिसके/जिनके लिए वह अपने मत का प्रयोग करने जा रहा है।

(v) प्रामाणिक मतदाता को लिफाफे के पीछे वाले हिस्से में अपना नाम तथा व्यक्तिगत पत्रावली संख्या (पी एफ नंबर) भी अंकित करनी होगी।

(vi) **लिफाफा-बंद** मत-पत्र जमा करने के लिए प्रामाणिक मतदाता को निर्धारित समय [27.01.2017 सायं 4 बजे तक] निर्वाचन अधिकारी के पास अपना **लिफाफा-बंद** मतपत्र जमा करना होगा।

(vii) मतदान आरंभ होने के पूर्व प्राप्त **लिफाफा-बंद** मत-पत्रों की संख्या की घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

शिकायत-निवारण:

निर्वाचन प्रक्रिया अथवा डाले गए मतों के संबंध में अंतिम निर्णय निर्वाचन-अधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार की शिकायतों के निस्तारण हेतु लिखित पत्र देना होगा। मतदान के चौबीस घंटे के बाद किसी भी प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

13/1/17

(डॉ वेदप्रकाश सिंह)
निर्वाचन अधिकारी

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:

1. निदेशक
2. उपनिदेशक
3. प्रोफेसर-इन-चार्ज (प्रशासन)
4. वित्त अधिकारी
5. उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)
6. सूचना पट्ट
7. वेबसाइट